न्यायालय जनपद न्यायाधीश,बहराइच।
प्रकीर्ण व्यवहार अपील संख्या–22/2024
रफी उर्फ मोहम्मद रफी –बनाम– उ०प्र० राज्य आदि।
UPBH010025102024

30.09.2025

पत्रावली वास्ते सुनवाई पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता सं०–3 तहसीलदार, कैसरगंज द्वारा प्रार्थना–पत्र 34–ए वास्ते विलम्ब मर्षण अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

34–ए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण

उपरोक्त वर्णित प्रार्थना–पत्र, उत्तरदाता सं०–3 की ओर से अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है किः–

उपरोक्त अपील दिनांक–05.03.2025 को न्यायालय पर सुनवाई हेतु सुनिश्चित थी, किन्तु वे कार्य सरकार में व्यस्तता के कारण न्यायालय पर उपस्थित नहीं हो सके और अपील की कार्यवाही उन्हें अनुपस्थित मानकर एकपक्षीय रूप से सुनवायी के लिए अग्रसारित कर दी गयी और अग्रिम पेशी की जानकारी भी उन्हें नहीं हो सकी। जब जिला शासकीय अधिवक्ता किसी अन्य मुकदमे में न्यायालय पर गये हुए थे तो उनको उक्त मुकदमे की जानकारी हुई और पेशी दिनांक–30.09.2025 की जानकारी जरिये टेलीफोन दिया, तब उन्होंने प्रार्थना–पत्र हाजा के साथ आदेश दिनांक–05.03.2025 का रिकाल करने हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र दिया है। उन्होंने गलती जान–बूझकर नहीं की है, बल्कि गलती तारीख पेशी की जानकारी न होने के कारण सहवन हुई है, जो न्यायहित में विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करके रिकाल प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई करने करने की याचना की गई है। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथी मीना गौर का शपथ–पत्र 35–ग प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से मौखिक आपत्ति की गई, किन्तु हर्जे के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उत्तरदातागण पर दिनांक–19.11.2024 को तामीला पर्याप्त माना जा चुका था। इसके उपरान्त नियत छः तिथियों तक उत्तरदातागण की ओर से कोई उपस्थित न होने पर दिनांक–05.03.2025 तिथि नियत की गई। उक्त तिथि को उत्तरदातागण उपस्थित नहीं हुए, तब उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गई और पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उसके उपरान्त कई तिथियां व्यतीत होने के उपरान्त उत्तरदातागण जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र रिकाल किये जाने आदेश दिनांकित–05.03.2025 मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम में उत्तरदातागण की ओर से यह आधार लिया गया कि वे कार्य सरकार में व्यस्त होने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सके। अतः विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदातागण की ओर से

Digitally signed by SATENDRA KUMAR
Date: 2025.09.30 16:53:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिया गया तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है, किन्तु यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न निर्णयज विधियों का उल्लेख किया जाना समीचीन हैः–

सैनिक सिक्यूरिटी प्रति शील बाई 2008(78) ए.एल.आर. पेज–302, स्टेट ऑफ नागालैण्ड प्रति ए०ओ० लिपाक 2005(52) ए.सी.सी. पेज–788 तथा पूनम एवं अन्य प्रति हरीश कुमार व अन्य 2011 (4) ए.सी.सी.डी. पेज–2125 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा किये जाने के प्रश्न पर अवधारणा करते समय न्यायालय को कठोर तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, अपितु व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तकनीकी न्याय पर वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में तथा मामले के गुणदोष के आधार पर निस्तारण के लिये उत्तरदातागण का 34–ए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

34–ए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम तद्नुसार 500/–रूपये (पांच सौ रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा रिकाल प्रार्थना–पत्र 36–ग प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। हर्जा सात दिन के अन्दर जमा किया जाये। तदोपरान्त रिकाल प्रार्थना–पत्र 36–ग सुनवाई हेतु दिनाँक–29.10.2025 को पेश हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उत्तरदातागण द्वारा नियत अवधि के भीतर हर्जा जमा नहीं किया जाता है, तो यह आदेश स्वमेव निष्प्रभावी हो जायेगा।

(सतेन्द्र कुमार)
जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
JO Code No.UP 1891

दिनांक–30.09.2025